न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–114/2010/दावा/बउनवान/रामप्रसाद बनाम कालूलाल

जीसीएमएस संख्या 2010/00077

1. रामप्रसाद दत्तक पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां .....वादी

बनाम

1. कालू पुत्र बजरंगलाल } जाति मीणा नि0 भोज्याहेडी तहसील मांगरोल
2. कैलाशी बाई पत्नि शम्भूदयाल } जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण : श्री हेमन्त कुमार यादव

दायरा दिनांक: 05.10.2010 निर्णय दिनांक : 11.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके माल भोज्याहेडी में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2068 से 2069 खाता संख्या 6 पर खसरा नं० 94 रकबा 0.61 है०, खसरा नं० 138 रकबा 0.39 है०, खसरा नं0 209 रकबा 0.07 है०, खसरा नं0 210 रकबा 0.06 है०, खसरा नं0 211 रकबा 0.10 है०, खसरा नं0 243 रकबा 0.23 है०, खसरा नं0 247 रकचा 0.24 है०, खसरा नं0 257 रकबा 0.59 है०, खसरा नं0 331/475 रकबा 0.05 है०, कुल कित्ता 9 रकबा 2.34 है०, दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 व 1/8 स्थित है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व अन्य सहखातेदार जोधराज पुत्र बजरंगलाल के बीच हुये इकरार नामा दिनांक 07.07.2000 के अनुसार वादी खसरा नं० 94 रकबा 0.61 है०, पर वर्षों से काबिज काश्त है तथा काश्तकारी कर परिवार पालन कर रहा है। वादी अपने कब्जे काश्त की खसरा नं० 94 रकबा 0.61 है०, भूमि पर लिखित पारिवारिक बंटवारे के आधार पर काबिज काश्त है जिसको लेकर अब अन्य सहखातेदार में समय से साथ बढ़ती भूमि दरों के कारण नीयत में फितूर पैदा होने लगा है, जो कर्ता–पिलाई व मेड धोरों को लेकर अनावश्यक विवाद करने लगे हैं, तथा परिवार में अशांति फैलाने लगे हैं, जिसके कारण अन्य सहखातेदारों के साथ शामिल खाता रखना सम्भव नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 कोई हक अधिकार नहीं है कि वादी के कब्जे काश्त में अनावश्यक दखलअंदाजी ना करें। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादी की आराजी खसरा नं0 94 रकबा 0.61 है०, के साथ हिस्सा आराजी मुताबिक कानूनन पृथक दर्ज कर खाता अलग दर्ज कर कर्ता–पिलाई अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा धोरों रास्ते भी अंकित किये जावें।

इस आशय का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादी क्रम 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

ो ओर से काउन्टर क्लेम व जवाब दावा प्रस्तुत किया गया काउन्टर कलेम जवाब दावा के कथन नुसार :–

01. यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. यह कि वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
03. यह कि वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।
04. यह कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
05. यह कि वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. यह कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है, कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।
07. यह कि वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है।
08. यह कि वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है।

विशेष आपत्तियां व काउन्टर क्लेम :– प्रतिवादी क्रम 2 ने खातेदार जोधराज पुत्र बजरंगलाल से खाता संख्या 6 जोधराज का हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण जरिये विक्रय पत्र खरीद किया है। खरीद करने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 05.06.2006 से इन्तकाल खुलवाकर जोधराज का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज हो चुका है। जोधराज ने अपनी कब्जे शुदा आराजी पर प्रतिवादी नं0 2 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर काबिज व दाखिल करा दिया है तथा प्रतिवादी नं0 2 खसरा नं0 243 रकबा 0.23 है0, आराजी पर काबिज काश्त है, तथा काश्त कर रहा है, तथा खसरा नं0 243 रकबा 0.23 है0, को प्रतिवादी नं0 2 अपने पृथक से खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, तथा उक्त वर्णित जमीन पर वर्तमान में प्रतिवादी नं0 2 अपना स्वयं का मकान बनाकर अपने परिवार सहित रह रही है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 2 की कब्जेशुदा आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.23 है0, प्रतिवादी क्रम 2 के अलग से खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र व जवाब दावा, काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम भोज्याहेडी में मुताबिक जमाबंदी सं0 2068 से 2069 पर खाता संख्या 6 पर किता 9 कुल रकबा 2.34 है०, दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 व 1/8 है, जिसे पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। (वादी)
2. आया वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व अन्य सहखातेदार जोधराज के बीच हुये इकरार नामा दिनांक 07.07.2000 के अनुसार वादी खसरा नं0 94 रकबा 0.61 है0, पर वर्षो से काबिज काश्त होने से खातेदारी प्राप्त कराने का अधिकारी है। (वादी)
3. आया प्रतिवादी क्रम 2 ने खातेदार जोधराज से खाता संख्या 6 जोधराज का हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण जरिये विक्रय पत्र खरीद किया है जो प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज हो चुका है, अतः प्रतिवादी क्रम 2 पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। (प्रतिवादी)
4. वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. दादरसी

वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 स्वयं रामप्रसाद व पीडब्ल्यू 2 केसरीलाल के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एक्स 1 जमाबंदी ग्राम भोज्याहेडी व एक्स 2 (अ) इकरार नामा दिनांक 07.07.2000 को प्रदर्श कराया है, प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

ादी की ओर जरिये अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी गयी ओर दस्तावेजों का अवलोकन किया या। तनकीवार निम्न प्रकार से निर्णय किया जा रहा है।

नकी नं0 1 व 2 :– तनकी नम्बर 1 व 2 दोनों वादी को साबित करनी हैं, और दोनों तनकी एक ूसरे से संबंधित होने तथा आपस में मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही हैं। जमाबंदी एक्स 1 ग्राम भोज्याहेडी के खाता संख्या 6 में वादी का हिस्सा क्रमशः 1/8 व 1/3 दर्ज हो रहा है, अर्थात वादी दर्ज हिस्से के अनुसार कुल आराजी किता 9 रकबा 2.34 है0, में से अपना हिस्सा कुल 1/8+1/3) प्राप्त करने का अधिकारी है, एक्स 2 (अ) इकरार नामा दिनांक 07.07.2000 के अनुसार ादी रामप्रसाद खसरा नं0 94 रकबा 0.61 है0, पर काश्त कर रहा है, और इसकी पुष्टि गवाह ीडब्ल्यू 2 केसरीलाल भी करता है उसके बयान के अनुसार री डी स्वयं केसरीलाल ने अपने हस्ताक्षर बताये हैं तथा अपने बयानों में उसने ए–बी कालूलाल व ई–एफ जोधराज के हस्ताक्षर बताये हैं। दस्तावेज व बयानो से स्पष्ट है कि पारिवारिक बंटवारा एक्स 2 (अ) के अनुसार खसरा नं0 91 रकबा 0.61 है0 पर वादी रामप्रसाद काबिज काश्त है, तथा काश्त कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कुल आराजी में वादी का हिस्सा क्रमशः 1/8 व 1/3 है, जिसमें कुल आराजी का हिस्सा ज्यादा बैठता है और वादी 0.61 है0, पर ही काश्त कर रहा है उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 1 व 2 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– यह तनकी प्रतिवादिनी क्रम 2 कैलाश बाई को साबित करनी थी, प्रतिवादी क्रम 2 ने साक्ष्य भी पेश नहीं की है तथा दस्तावेज भी पेश नहीं किया है, रिकॉर्ड देखने से स्पष्ट है कि कैलाशी बाई पत्नि शम्भूदयाल 1/12 हिस्से की सह खातेदार है प्रतिवादिनी ने काउन्टर क्लेग पेश करके अपना हिस्सा 1/12 पृथक कराने की प्रार्थना की है प्रतिवादिनी सहखातेदार है, और अपना हिस्सा पृथक करा सकती है, जिसकी भी अधिकारिणी है उपरोक्त विवेचन से तनकी नं0 3 प्रतिवादिनी क्रम 2 के पक्ष मे व विरुद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 4 :– वादी रिकार्डेड सहखातेदार है तथा पारिवारिक बंटवारा के अनुसार आराजी खसरा नं0 94 रकबा 0.61 है0, को काश्त कर रहा है जैसा कि तनकी नं0 1 व 2 के विवेचन से स्पष्ट हो गया है, खसरा नं0 94 पर काबिज काश्त होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 4 वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

दादरसीः– उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादिनी क्रम 2 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोज्याहेडी तह० मांगरोल के खाता संख्या 6 में दर्ज कुल आराजी 2.34 है0, में से वादी का हिस्सा (1/8+1/3 =11/24) पृथक किया जाकर पृथक खाते दर्ज करने वास्ते 11/24 की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है यह भी आदेश दिया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव में वादी के खसरा नं0 94 रकबा 0.61 है0 आराजी अंकित की जाव। खाता संख्या 6 ग्राम भोज्याहेडी तह० मांगरोल में दर्ज कुल आराजी 2.34 है0, में से प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/12 पृथक किया जाकर पृथक खाते दर्ज करने वास्ते प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.11.2018 का जारी की गई।

निर्णयानुसार डिक्री होने के पश्चात, तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर प्रेषित की गई, पत्रावली में तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 27.11.2024 को बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बंटवारा स्कीम पर अनापत्ति करते हुए अंतिम निर्णय पारित करने की बहस की। मुताबिक प्राथमिक निर्णय, बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष, तहसीलदार मांगरोल के पत्र कमांकःराजस्व/2024/1243 दिनांक 27.11.2024 से बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम भोज्याहेडी तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

मांगरोल के खाता संख्या 6 में दर्ज कुल आराजी 2.34 है0 का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1. रामप्रसाद दत्तक पुत्र माधो पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण रहन SBI शखा मांगरोल

खसरा नं0.	रकबा	किस्म	लगान
94	0.61	नहरी 1	19.52
138/1	0.15 (पूर्वी)	नहरी 1	4.80
209	0.07	बरानी 1	0.70
210	0.06	बरानी 1	0.60
211	0.10	नहरी 1	3.20
331/475	0.05	बरानी 1	0.50
किता 06	1.04	–	29.32

2. कालू पुत्र बजरंगलाल हि. 52/65 कविता पुत्री शम्भूदयाल हि. 1/20 नरेन्द्र पुत्र शम्भूदयाल हि. 1/20 भीमराज पुत्र शम्भूदयाल हि. 1/20 जोधराज पुत्र बजरंगलाल हि. 1/20 जाति मीना सा. देह खातेदार रहन– SBI शाखा मांगरोल हि. कालू कविता, नरेन्द्र, भीमराज

खसरा नं0.	रकबा	किस्म	लगान
138/2	0.24 (पश्चिमी)	नहरी 1	7.68
243	0.23	नहरी 2	5.52
247	0.24	–	5.76
257	0.59	–	14.16
किता 04	1.30	–	33.12

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

Scanned by CamScanner